कक्षा - 10

समकालीन भारत - 2

अध्याय - 2

वन एवं वन्य जीव संसाधन

भाग - 1

पंकज वैष्णव

ipca
A dose of life

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

सामाजिक विज्ञान

समकालीन भारत -2

कक्षा 10 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक

विषय-सूची

	आमुख	iii
	पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन	v
1.	संसाधन एवं विकास	1
2.	वन एवं वन्य जीव संसाधन	13
3.	जल संसाधन	19
4.	कृषि	30
5.	खनिज तथा ऊर्जा संसाधन	42
6.	विनिर्माण उद्योग	58
7.	राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ	72
	परिशिष्ट–क	86
	परिशिष्ट–ख	87
	शब्दावली	88

© NCERT not to be republished

वन एवं वन्य जीव संसाधन



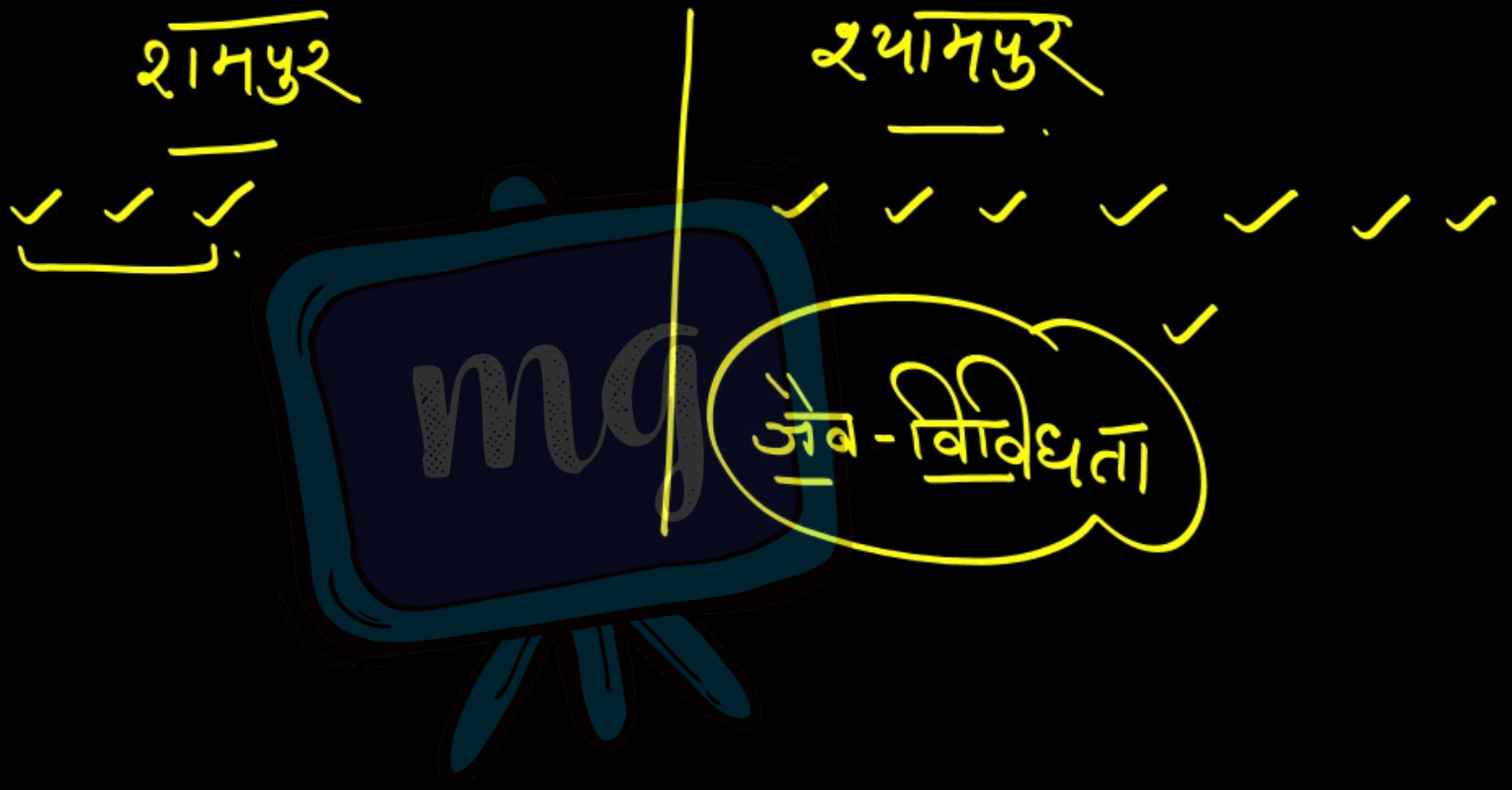
इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, पौधे से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं।

यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, अत्यधिक जैव-विविधताओं से भरा हुआ है।

मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्त्वों पर निर्भर करते हैं।

ipca
A dose of life

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



वन एवं वन्य जीव संसाधन

वायु जिसमें हम साँस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है,
जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते;

पौधे पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं।

वन, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं।

वन एवं वन्य जीव संसाधन

भारत में वनस्पतिजात और प्राणिजात



भारत, जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है।

यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या (लगभग 16 लाख) पाई जाती है।

ये विविध वनस्पतिजात और प्राणिजात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुँथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते।

वन एवं वन्य जीव संसाधन



परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर मार की दवाब बढ़ा है।



वन एवं वन्य जीव संसाधन

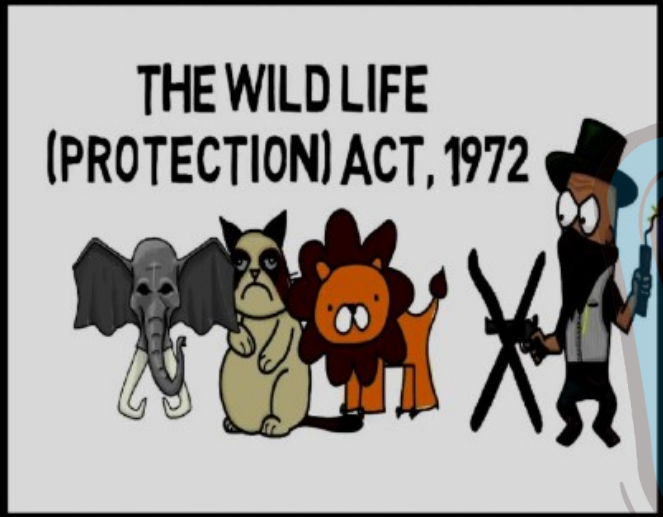
भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण

वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है।

वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है?

- पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है
- हमारे जीवन-साध्य संसाधन (जल, वायु और मृदा) बने रहते हैं।
- विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जींस (Genetic) विविधता को भी संरक्षित करती है।

वन एवं वन्य जीव संसाधन



- 1960 और 1970 के दशकों के दौरान, पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर माँग की।
- 1972 में भारतीय वन्यजीवन (रक्षण) अधिनियम लागू किया गया जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे।
- सम्पूर्ण भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई।

वन एवं वन्य जीव संसाधन



इस कार्यक्रम के तहत निम्न पर जोर दिया गया है:-

- बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव
- शिकार प्रतिबंधन
- वन्यजीव-आवासों का कानूनी रक्षण
- जंगली जीवों के व्यापार पर रोक

राष्ट्रीय उद्यान
बाघ रिजर्व

ipca
A dose of life

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन





तत्पश्चात् केंद्र-सरकार व कई राज्य-सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य (Sanctuary) स्थापित किए।

केंद्र-सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य-प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था।

बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण (हंगुल), मगरमच्छ (स्वच्छ-जल मगरमच्छ, लवणीय-जल मगरमच्छ और घड़ियाल), एशियाई शेर आदि

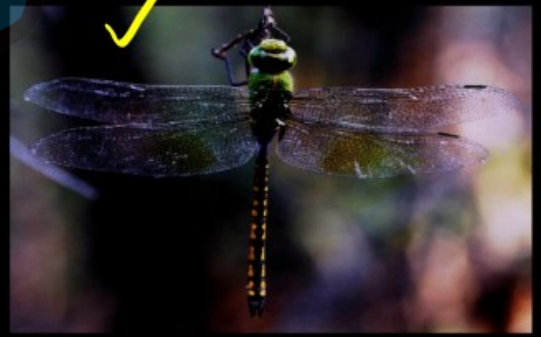
वन एवं वन्य जीव संसाधन



- वन्य-जीव अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना (1980 और 1986) के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृगों और एक ड्रैगनफ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है।
- 1991 में पौधों की 6 जातियाँ भी पहली बार इस सूची में रखी गई।







ipca
A dose of life

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन



इसके अतिरिक्त, कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन (Bustard) और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है।





ipca
A dose of life

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

वधि परियोजना

- 1973.

Objective.

प्रश्न -

- a
- b
- c
- d



ipca
A dose of life

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

